न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 20/23 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2023/111

उनवान

1. अशोक सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. सरोज पुत्री श्री बच्चू सिंह पत्नी श्री रोशन लाल जाति जाट निवासी ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम तरगवां तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. सुमित्रा पुत्री श्री बच्चू सिंह पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी मीराना रोड, बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. बच्चू सिंह पुत्र श्री हरीराम
2. नीतू पुत्र बच्चू सिंह

} जातियान जाट निवासीयान ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 18.07.2023 उनवानी अशोक बगै0 बनाम बच्चू मु0न0 107/2022

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री तुलसीराम इन्दौलिया उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के आदेश दिनांक 18.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम जयचौली तहसील उच्चैन में स्थित है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो अप्रार्थी संख्या 01 के पिता श्री हरीराम पुत्र चिरंजी की

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

छोडी हुयी आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म लेने से ही खातेदारी अधिकार हैं। परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 के कर्ताखानदान होने की वजह से विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज हो रही है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 विवादित आराजी को दीगर व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें अपीलाण्ट के जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को स्वःअर्जित सम्पत्ति मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट के पिता कर्ताखानदान होने के कारण राजस्व अभिलेख में उनका इन्द्राज हो रहा है। जबकि उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट के पिता को उनके पिता स्व0 हरीराम से विरासतन प्राप्त हुयी है। अपीलाण्ट के पिता जन्म से ही उनसे रंजिश रखते हैं और ना ही सही तरह से परिवरिश करते हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2012(1) पेज 350, 2016(2) पेज 1084, 2003(1) पेज 373, आरआरडी 1981 पेज 512 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने ज़वाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर ना तो कब्जा काश्त है एवं ना ही विवादित आराजी पैतृक आराजी है। विवादित आराजी स्व0 हरीराम से उसके दो पुत्रो बच्चू सिंह व चेतराम एवं 4 पुत्रियों को उनके मरणोपरान्त धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार में समभाग में प्राप्त किया है। उसके बाद पुत्रीयों ने अपने हिस्से का हकत्याग दोनों भाईयो को कर दिया। इसके अलावा रजिस्टर्ड वयनामा एवं दानपत्र से भी भूमि आई है। इस प्रकार तीन कार्यवाहियों के बाद विवादित भूमि आयी है। अतः विवादित भूमि पैतृक की श्रेणी में नहीं आती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1987 पेज 558, 1986 एआईआर 1753, 1986 एससीआर(3) पेज 254, एआईआर 1987 पेज 558, 1987 एससीआर(1) पेज 516 एवं सचिन बनाम रघुवीर निर्णय दिनांक 30.05.2019 का उद्धरण पेश किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के कुछ भाग को रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 22.05.1982, दानपत्र दिनांक 25.05.2022 एवं रिलीज डीड दिनांक 20.09.2004 को आधार बनाते हुये, विवादित आराजी को स्वःअर्जित सम्पत्ति माना जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। हम पाते हैं यदि अप्रार्थी रैस्पो0 को कुछ भूमि उपरोक्त तीनो माध्यम से प्राप्त हुयी हो तो भी अप्रार्थी रैस्पो0 को अपने पिता हरीराम से कुछ भूमि तो विरासतन प्राप्त हुयी है। स्वयं रैस्पो0 भी अपने जवाब में उक्त कथन को स्वीकारते हैं कि विवादित आराजी उन्हें उनके पिताजी हरीराम से विरासतन 6 भाई बहिनो में बराबर उत्तराधिकार में प्राप्त हुयी है। लिहाजा उपरोक्त तीनों माध्यम से प्राप्त भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में मानी जावेगी एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(यथा संशोधन) में सहदायी सम्पत्ति में पुत्रो की भॉति पुत्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। लिहाजा हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (यथा संशोधन) में दिये गये निर्देशो की पालना में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर